संख्याः-12/2015-907/नौ-5-15-285 बजट/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
बरेली।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 11 फरवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत द्वितीश किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-766/निर्माण विभाग/2014-15, दिनांक 28.01.2015 तथा शासनादेश संख्या-8387/नौ-5-2014-285बजट/2013 दिनांक 04.03.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत **नगर निगम, बरेली को जल निकासी हेतु नाला निर्माण के 04 विभिन्न कार्यो हेतु** ₹ 97.11 लाख की लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में **द्वितीय किश्त** के रूप में मांगी गई /अपेक्षित धनराशि ₹ 29.80 लाख **(₹ उन्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31 मार्च, 2015** तक निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(4) शासनादेश संख्या-8387/नौ-5-2014-285बजट/2013 दिनांक 04.03.2014, जिसके माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***" 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 12/2015-907(1)/नौ-5-15-285बजट/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, बरेली।
3- जिलाधिकारी, बरेली।
4- कोषाधिकारी, बरेली।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- मा0 महापौर, नगर निगम, बरेली।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-**2014-2015**

आवंटन दिनांक-**11/02/2015**

प्रेषण संख्या:- 12-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-12-2015-907-9-5-15-285Bud-2013

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2980000 2980000	2980000 2980000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2980000 2980000	2980000 2980000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उन्तीस लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस लाख अस्सी हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव